

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15103/2025

Ramdayal S/o Punilal, Aged About 75 Years, R/o Khilchipur,
Police Station Kundera, District Sawai Madhopur. (At Present
Confined At District Jail Sawai Madhopur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Umesh Dixit
For Respondent(s) : Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 331/2025 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त 75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो दिनांक 05.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसने सहअभियुक्त कैलाश के साथ मिलकर भवानीशंकर की जमीन को धोखाधड़ी एवं कूटरचना से उसका फर्जी आधार कार्ड बनाकर एवं सहअभियुक्त कैलाश ने भवानीशंकर बनकर पॉवर ऑफ अटॉर्नी एवं इकरारनामा परिवादी शिवकरण के पक्ष में निष्पादित कराए और उससे जमीन के बदले 25 लाख रुपये जिसमें 22 लाख रुपये नकद एवं 3 लाख रुपये जरिए चैक प्राप्त किए। उनका तर्क है कि

वास्तविकता में मुख्य अभियुक्त कैलाश है जिसका फोटो फर्जी आधार कार्ड पर लगा था तथा उसी के द्वारा पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर भवानीशंकर के तथाकथित हस्ताक्षर भी किए गए थे। कैलाश द्वारा ही राशि प्राप्त की गई है। प्रार्थी पॉवर ऑफ अटॉर्नी का केवल सत्यापनकर्ता साक्षी मात्र है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का वर्ष 1997 का एक मुकदमा था। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त और कैलाश दोनों ने ही सुनियोजित तरीके से कूटरचना एवं धोखाधड़ी की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त भू-स्वामी भवानीशंकर का चचेरा भाई है और ऐसी स्थिति में उसे यह जानकारी थी कि कैलाश भवानीशंकर नहीं है, फिर भी उसने पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर साक्ष्य दी है। उनका यह भी तर्क है कि जो 22 लाख रुपये नकद राशि प्राप्त करने का आक्षेप है वह राशि दोनों अभियुक्त ने प्राप्त की है। पूर्व का एक धोखाधड़ी का ही मामला है। गम्भीर अपराध है, अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने किसी अन्य (भवानीशंकर) की जमीन विक्रय करने के लिए परिवादी के पास जाकर जमीन का सौदा करवाया एवं सहअभियुक्त कैलाश से मिलकर भवानी शंकर की जमीन का विक्रय—इकरारनामा एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करवा दी तथा स्वयं ने इकरारनामा पर साक्ष्य दी, जबकि प्रार्थी को यह जानकारी थी कि सहअभियुक्त कैलाश ने भवानीशंकर बनकर उक्त दस्तावेज निष्पादित करवाए हैं एवं वह जमीन का असल खातेदार—मालिक नहीं है। परिवादी से जमीन का सौदा स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त ने किया एवं फिर वही सहअभियुक्त कैलाश को लेकर गया है। इस प्रकार उक्त संव्यवहार धोखाधड़ीपूर्वक एवं कूटरचना करके किया जाना प्रथम—दृष्ट्या प्रकट हो रहा है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त का सक्रिय योगदान रहा है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त पर एक अन्य मुकदमा धोखाधड़ी से ही सम्बन्धित दर्ज रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह
प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J